न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिंधव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 76/15

1. सुरेन्द्र सिंह आयु 55 वर्ष
2. सरूप सिंह
3. हिम्मत सिंह पिसरान स्व0 केशोराम जी, जाति राजपूत निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा , नायब तहसील मण्डाना जिला कोटा
2. वन विभाग कोटा, जरिये मण्डल वन अधिकारी कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

उपस्थिति : वादी वकील श्री शम्भू दयाल विजय
प्रतिवादी वकील श्री गोविन्द सिंह चौहान

दिनांक : 12.09.2017

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता को आराजी खसरा नं0 33 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम कोलाना उप तहसील मण्डाना तह0 लाडपुरा जिला कोटा की दिनांक 19.6.72 को मुकाम कसार में आवंटन की गई थी और आवंटन उपरान्त कब्जा संभलाने के बाद नामान्तरकरण सं0 52 से उक्त आराजी केशोराम जी के गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई और उनके जीवन काल में उक्त आराजी पर वह बहैसियत आवंटी व गैर खातेदार काबिज काश्त रहे, और उनका स्वर्गवास दिनांक 24.12.2000 को हो जाने के उपरान्त वादीगण उनके उत्तराधिकारी होने के नाते काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0नं0 33 के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ख0नं0 नये 5 एवं 6 बनाए गये है, जिसमें वादीगण ख0नं0 5 एवं 6 पर पूर्ववत यथावत काबिज चले आ रहे है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त आराजी ख0नं0 5 एवं 6 को बाद सेटलमेन्ट सिवायचक दर्ज कर दी, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को उक्त आराजी वादीगण के पिता केशोराम आत्मज सुरजन सिंह के गैर खातेदारी में पूर्ववत दर्ज करना चाहिये था, जो नहीं कर सेटलमेन्ट विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया है, और ऐसा कृत्य कानूनन प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य होने से वादीगण उनके पिता केशोराम का स्वर्गवास हो जाने के उपरान्त उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। पूर्व में भी आराजी ख0नं0 5 व 6 के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार मण्डाना ने मिसल नं0 24/01 से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी मान कर 7.2.01

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

को बेदखली का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्व वादीगण ने जिला कलक्टर कोटा के यहां अपील सं0 21/02 प्रस्तुत की, जो दिनांक 6.6.02 को जिला कलक्टर कोटा द्वारा स्वीकार कर बेदखली का आदेश निरस्त कर दिया गया था, और आवंटी को पूर्ववत इन्द्राज दुरूस्ती कर गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश भी प्रदान किया गया था, किन्तु आज तक भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा माननीय जिला कोटा के आदेश की पालना नहीं की गई, इसके विपरीत नामान्तरकरण सं0 138 से उक्त आराजी दिनांक 20.9.2010 को प्रतिवादी नं0 2 के खाते दर्ज कर दी, जबकि उक्त आराजी वादीगण के पिता की आवंटनशुदा व गैर खातेदारी की थी, जिसे कि वादी गण के पिता की मृत्यु के उपरान्त वादीगण पूर्ववत अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है और इस अनुरूप रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल कराने के भी अधिकारी है। उक्त आवंटनशुदा आराजी ख0नं033 गत जिसके हाल नये नम्बर 5 व 6 बनाए गए है, उसमें गत रकबा 15 बीघा के अनुसार 2.40 है0 भूमि वादीगण दुरूस्त करवा कर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। आवंटन की शर्तो अनुसार आवंटी केशोराम जी जब तक जीवित रहे, वह नियमित रूप से आराजी पर काश्त करते रहे, और उनके मृत्यु उपरान्त से वादीगण बहैसियत उत्तराधिकारी आराजी पर आज तक काश्त करते चले आ रहे है, और आवंटन के 10 वर्ष बाद स्वतः ही उक्त आराजी के केशोराम जी अपने जीवन काल में ही खातेदार हो चुके थे, इसलिए वादीगण उक्त आराजी को प्रतिवादी नं0 2 के नाम से हटाकर अपने स्वयं के खाते दर्ज कराने और खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। उक्त आराजी सिवायचक से नामान्तरकरण सं0 138 द्वारा प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रति0 नं0 2 के नाम दर्ज कर दी है, और इसलिए प्रतिवादी नं0 2 राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर वादीगण को ताकत के बल पर उक्त भूमि से बेदखल करने को उतारू है, और जिसे रोके जाने हेतु भी वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया हैं। इस सम्बन्ध में वादीगण ने उनके पिता के स्वर्गवास उपरान्त से लगातार कई बार राजस्व अधिकारियों से भूमि उनके पिता की मुत्यु बादी वादीगण के नाम खाते दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किये, तथा माननीय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.8.02 भी सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये किन्तु फिर भी इन्द्राज दुरूस्ती कर वादीगण के खातेदारी में आराजी दर्ज नहीं की गई, और अभी दिनांक 6.7.15 को राजस्व अधिकारियों से इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर उन्होने दुरूस्ती इन्द्राज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, साथ ही प्रतिवादी नं0 2 ने भी आराजी से रिकार्ड में उनको नाम दर्ज होने से वादीगण को शीघ्र ही बेदखल करने की धमकी भी दी है, और इसलिये वादीगण को माननीय न्यायालय में यह वाद पेश कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अलावा अन्य कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी दो माह का प्रैषित किया जाना आवययक है, किन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, और इस हेतु पृथक से धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र अनुमति हेतु पेश किया गया है।

प्रस्तुत वाद का वाद कारण वादीगण के पिता की आवंटनशुदा व गैर खातेदारी की भूमि को बाद सेटलमेन्ट वादीगण के पिता के स्वर्गवास उपरान्त वादीगण के नाम दर्ज नहीं करके प्रति0 नं0 1 द्वारा सिवायचक दर्ज कर देने और तदुपरान्त वादीगण के अनेक निवेदन के बावजूद इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करने, और गलत तौर पर आराजी प्रति0 नं0 2 के खाते दर्ज करते हुये वादीगण को 6.7.15 को प्रतिवादीगण द्वारा शीघ्र ही आराजी से बेदखल करने की धमकी देने और वादीगण की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। वादीगण की उक्त आराजियात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है, इसलिये प्रस्तुतवाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे–

वाद पत्र की मद में वर्णित गत ख0नं0 33 की रकबा 15 बीघा आराजी वाके ग्राम कोलाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 5 व 6 कायम किये गये है, उसके 2.40 है0 रकबे जिस पर वादीगण पूर्ववत पिता की मृत्यु के उपरान्त काबिज काश्त है, उसका वादीगण को खातेदार घोषित करते हुये उक्त 2.40 है0 आराजी प्रतिवादी नं0 2 के खाते से हटाई जाकर वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जावे, तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि राजस्व रिकार्ड में गलत तौर पर प्रतिवादी नं0 2 का नाम दर्ज कर दिये जाने के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 वादीगण के पिता को आवंटनशुदा व गैरखातेदारी की आराजी ख0नं0 33 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम कोलाना तह0 लाडपुरा उपतहसील मण्डाना जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नं0 5 व 6 बनाए गये है, उसका 2.40 है0 रकबा जिस पर मौके पर वादीगण पूर्ववत काबिज काश्त है, उससे वादीगण को ताकत के बल पर न तो बेदखल करे और न उनके शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई मजाहमत व मदाखलत करे। ऐसा कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं एजेन्टों से करावे।

प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण खं0 138 प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में खोला जाना स्वीकार है, शेष कथन मनगढत व बनावटी अंकित किए है। उक्त नामान्तरकरण खोले जाने व भूमि ख0नं0 5 व 6 पर मौके पर दखल दिए जाने से प्रतिवादी नं0 1 व 2 का उपरोक्त खसरा नं0 की आराजियात पर बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में भी उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 व 2 के कब्जे में है। स्टेट ऑफ राजस्थान का लेण्ड होल्डर होना स्वीकार है। वादीगण द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान को धारा 80 सी0पी0सी0 के नोटिस के अभाव में वाद पौषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि वादी का वाद निराधार तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि 220 के0वी0डबल सर्किट कोटा थर्मल पावर स्टेशन से 400 के0वी0 पावर ग्रिड सब स्टेशन पी–जी–सी–आई–एल नान्ता के निर्माण में ग्राम नान्ता स्थित वन विभाग की भूमि ख0नं0 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1134, 1135, 1176,, 1173, 1177, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, एवं 1178 की कुल 6.2 है0 भूमि अवाप्त की गई इसके बदले राजस्व भूमि वन विभाग को देने की मांग करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त वन भूमि के बदले ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के ख0 नं0 5 रकबा 1.81 है0 व ख0नं0 6 रकबा 4.90 है0 किता 2 रकबा 6.71 है0 किस्म सिवाय चक बंजड में से 6.2 है0 आवंटन के प्रस्ताव भिजवाए। उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 577 दि0 17. 8.09 से भिजवाया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 20.7.10 एवं मण्डल वन अधिकारी के पत्र सं0 10755–56 दिनांक 13.8.10 से दी गई सहमति के क्रम में उक्त 220 के0वी0 डबल सर्किट विद्युत लाईन के निर्माण हेतु ग्राम नान्ता की आराजियात ख0नं0 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1134, 1135, 1176, 1173, 1177, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, एवं 1178 की कुल 6.2 है0 वन भूमि के उपयोग में आने के बदले ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के ख0नं0 5 रकबा 1.81 है0 व ख0नं0 6 रकबा 4.90 है0 किता 2 रकबा 6.71 है0 किस्म सिवाय चक बंजड में से 6.2 है0 राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस हेतु पत्र क्रमांकः प–8ःराजस्वः111–10।6010। 17 दिनांक 2.9.10

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

जिला कलक्टर कोटा द्वारा जारी किया गया। पटवार मण्डल कसार द्वारा दिनांक 10.9.2010 की उक्त ख0नं0 5 व 6 दो किता रकबा 6.71 है0 में से 6.20 है0 भूमि वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा पर प्रतिपक्षी नं0 2 के कर्मचारियों की उपस्थित में दखल दिया जाकर दखल नामा तहरीर किया गया और उक्त भूमि का इन्तकाल नं0 138 दिनांक 20.9.10 को विधिवत रूप से खोला जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद किया जिसकी जमाबन्दी संवत् 2064–2068 जारी की प्रति पेश है, इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

इस प्रकार ख0नं0 6 वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा पर प्रतिवादी नं0 2 वन विभाग का बहेसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। वादी ने तथ्यों को तोड मरोड कर वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किय है जो चलने योग्य नहीं है। वादीगण क्लील हैण्डस से नहीं आए है और आफ्टर थाट वाद पेश किया है। वादीगण की ओर से वाद पेश करने से पूर्व स्टेट ऑफ राजस्थान को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं दिया है अतः वाद पोषणीय नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से विदित है कि वाद वर्णित ख0नं0 5 व 6 की आराजी से वादीगण का कोई संबंध नहीं है और वादीगण किसी तरह की कोई सहायता के पात्र नहीं है। उक्त ख0नं0 5 व 6 वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा वन विभाग के खाते की भूमि है जिस पर उनका कब्जा है। जवाब दावा पेश कर विनय है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त करने की कृपा करे तथा वादी से प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दिलाया जावे। उपरोक्त तथ्यों से विदित है कि वाद वर्णित ख0नं0 6 की आराजी से वादी का कोई संबंध नहीं है और वादी किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त ख0नं0 6 रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा वन विभाग के खाते की भूमि है जिस पर उनका कब्जा है। जवाब दावा पेश कर विनय है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे तथा वादी से प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दिलाया जावे।

दौराने वाद प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा में प्रकरण संख्या 22/2002 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वादी के दस्तावेजात के आधार पर वादीगण की आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसी आधार पर वादी के पिता को आवंटित आराजी के अनुरूप खातेदारी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा कथन किया कि राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये उक्त आवंटन भूमि तीन वर्ष के पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार 1970 नियम 18 के तहत तहसीलदार का यह कर्तव्य है कि उस भूमि को खातेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिये, अगर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है। इसके समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1220, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 200, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 559 में उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि का सुस्तीकरण भू राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है तो भी उसका इन्द्राज किया जाना आवश्यक है तथा सेटलमेन्ट विभाग को आवंटन भूमि का इन्द्राज वादी के नाम करना चाहिये था, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नहीं किया जाकर उक्त भूमि को सेटलमेन्ट विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नहीं है कि सेटलमेन्ट के पूर्व के इन्द्राज को विलोपित कर सके या उसमें रद्दोबदल कर सके। इसके समर्थन में आर.एल.डबल्यू 2006 (1) आर.जे. 290, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एच.सी., आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244 एच.सी., व 200 आर.आर.टी. 1993 पेज 44 प्रस्तुत है। उक्त नजीरों के आधार पर सेटलमेन्ट को बिना विधिक प्रक्रिया के या बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी वकील द्वारा अपने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वन विभाग को उक्त आराजी पर दखलनामा दिया जा चुका है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी के पिता को आराजी का विधिवत आवंटन हुआ था। तथा इसी आवंटन के फलस्वरूप विवादित आराजी को उनकी गैरखातेदारी में दर्ज किया गया था। साथ ही यह भी सही है कि वन विभाग के खाते दर्ज आराजी को किसी अन्य के खाते दर्ज किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित है। इस सम्बन्ध में हम पाते है कि वादी को गत खसरा नम्बर 33 की 15 बीघा का आवंटन हुआ था। दौराने सेटलमेन्ट उक्त खसरा नम्बर 33 के नये खसरा नम्बर 4, 5, 6 कायम किये गये है। इनमें से खसरा नम्बर 5 व 6 वन विभाग के खाते दर्ज कर दिया गया है। इनमें से शेष रहे खसरा नम्बर 4 का रकबा 49.54 हैक्टर कायम किया गया है जिसमें से 30.54 हैक्टर आराजी वन विभाग के खाते दर्ज रेकार्ड है तथा वर्तमान में खसरा नं. 4 में 19 हैक्टर आराजी शेष है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नम्बर 4 की शेष रही 19 हैक्टर आराजी में से 2.40 हैक्टर का आवंटी केशोराम के विधिक वारिसान वादीगण क्रम 1, 2, 3 को खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 4 की शेष रही 2.40 हैक्टर आराजी वादी क्रम 1, 2, 3 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रमोद कुमार सिन्धव
R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0**

बउनवान :

1 सुरेन्द्र सिंह
2 स्वरूप सिंह
3 हिम्मत सिंह पिसरान स्व0 केशोराम जी, जाति राजपूत निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, नायब तहसील मण्डाना, जिला कोटा
2 वन विभाग, कोटा जरिये मण्डल वन अधिकारी, कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89. 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 76/15
निर्णय दिनांक : 12.09.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी वकील श्री शम्भू दयाल विजय एवं प्रतिवादी वकील श्री गोविन्द सिंह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 12–09–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद वादी स्वीकार किया जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नम्बर 4 की शेष रही 19 हैक्टर आराजी में से 2.40 हैक्टर का आवंटी केशोराम के विधिक वारिसान वादीगण क्रम 1, 2, 3 को खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 4 की शेष रही 2.40 हैक्टर आराजी वादी क्रम 1, 2, 3 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह डिक्री आज तारीख 12.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3. अदर्शो के लिये स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2. अर्जी के लिये स्टाम्प 3. प्लीडर के लिये फीस 4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 4. आदेशिका की तामिल 5. कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	